भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

सत्यमेव जयते

मिसिल सं.: RG-8/1/(9)/2021-B AND CS(1 AND 3) भाग – 1   दिनांक: 1st सितमबर 2022

विषय: कार्यान्वयन योजना - नया विनियामक ढांचा 2020

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) ने, दिनांक 1 जून 2022 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से, सभी प्रसारकों को 31 अगस्त 2022 तक नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, 30 सितंबर 2022 तक पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) और पे चैनलों के बुके और पे और फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैनलों के बुके की संरचना के बारे में प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 30 नवंबर 2022 से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

2. नए विनियामक ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण ने "प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए नियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 07 मई 2022 को एक परामर्श पत्र संख्या 05/2022 जारी किया। हितधारकों से उक्त परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 मई 2022 और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 जून 2022 निर्धारित की गई थी।

3. हालांकि, हितधारकों से प्राप्त अनुरोध पर, उपर्युक्त परामर्श पत्र पर टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 06 जून 2022 और 13 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त परामर्श पत्र पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

4. उपर्युक्त परामर्श पत्र पर ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी), जो 21 जुलाई 2022 को होने वाला था, अब वह 8 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है।

5. इसके अलावा, नए विनियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा के विस्तार का अनुरोध करने वाले हितधारकों से कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

6. चल रही परामर्श प्रक्रिया और नए नियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, 1 जून 2022 के उक्त पत्र के तहत प्रदान की गई समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

7. अब, सभी प्रसारक **30 नवंबर 2022** तक नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार, नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों के प्रति माह एमआरपी, और चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी में किसी भी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी सूचनाओं को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। जिन प्रसारकों ने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी **30 नवंबर 2022** तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

8. इसके अलावा, सभी डीपीओ **31 दिसंबर 2022** तक, पे चैनलों के डीआरपी और पे चैनलों के बुके, और पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना को नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। डीपीओ जिन्होंने नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी **31 दिसंबर 2022** तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

9. इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि **28 फरवरी 2023** से ग्राहकों को सेवाएं उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाएं।

10. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ANIL KUMAR

Digitally signed by ANIL KUMAR
DN: c=IN, o=TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA, ou=TRAI, postalCode=110002, st=DELHI, 2.5.4.20=86daad962c8c978d30d35f64ed042e29142be6e13bc088419005637a023a650f, pseudonym=FCB9AEA0D7584B82C66A2540A85F2E9EC4B8CB0B, serialNumber=1B7CF003FC05DD6DA0EF03C2091032AE68ED513313F93B0F1551DDFC89076BBE, cn=ANIL KUMAR
Date: 2022.09.01 15:25:32 +05'30'

(अनिल कुमार भारद्वाज)
सलाहकार (बी एंड सीएस)

प्रति,

प्रसारक और डीपीओ